

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक के.एन.ए. घड़साना  
पीवासीय अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस. कैम्प कोट ग्राम पंचायत 600


2025/263  
600ms

आदेश

दिनांक 17.09.25

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हत्का 909 मू-अभिलेख निरीक्षक श्री.मं. घड़साना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) घड़साना/रावला नापड/रावला की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1968 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 26 AS तहसील घड़साना/रावला जिला श्रीगंगानगर की जमबंदी सम्वत् वर्तमान में खाता सं 63 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (असुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (सुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1.	26 AS	63	सर्वजीव करि w/o भावा रिट्टि. पूर्ण लारि मजदबी स्था. 24 AS-C 21दिन (पूर्ण खाल) आरिपुस्तक डोक डोक काफर्स शाखा शतराग	सर्वजीव करि w/o भावा रिट्टि. पूर्ण लारि मजदबी स्था. 24 AS-C 21दिन (पूर्ण खाल) पैलाह लेशकाल डोक शाखा शतराग

  
सुनील कुमार चौहान  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

दिनांक 17.09.25

क्रमांक/रीडर/ग्रा0से0शि0./2025/  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री सर्वजीव करि w/o भावा रिट्टि को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
सुनील कुमार चौहान  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना